



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 341 राँची, शुक्रवार, 10 ज्येष्ठ, 1946 (श०)
31 मई, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

5 मार्च, 2024

1) संख्या-03/पद-01(घ)-01/2023 का० 1745--संयुक्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री राजकुमार गुप्ता, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 763/03, गृह जिला राँची), को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जैप०आई०टी०, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2) संख्या-03/पद0-01(घ)-01/2023 का० 1746--उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री अरविन्द कुमार लाल, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-3/20 गृह जिला राँची), को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

3) संख्या-03/पद0-01(घ)-01/2023 का० 1747--अपर नगर आयुक्त, राँची नगर निगम के पद पर पदस्थापित श्री कमलकान्त गुप्ता, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 854/03, गृह जिला राँची), को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

4) संख्या-03/पद0-01(घ)-01/2023 का० 1748--विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, धनबाद के पद पर पदस्थापित श्री भगीरथ प्रसाद, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 37/20, गृह जिला बोकारो), को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप सचिव राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

5) संख्या-03/पद0-01(घ)-01/2023 का० 1749--ग्रामीण विकास विभाग की अधिसूचना सं० 838 दिनांक 28.02.2024 द्वारा सेवा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को वापस श्री संजय कुमार सिन्हा, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 221/20, गृह जिला हजारीबाग), को अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, सिमडेगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii. श्री सिन्हा को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत सिमडेगा जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

6) संख्या-03/पद0-01(घ)-01/2023 का० 1750--कार्यपालक दण्डाधिकारी, हजारीबाग सदर के पद पर पदस्थापित श्री दीपक कुमार दूबे, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 620 / 20 गृह जिला - राँची), को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, धनबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii. श्री दूबे को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 की धारा 20) के तहत धनबाद जिला के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं ।

2. वैसे पदाधिकारी जिनके स्थान पर किसी अन्य का पदस्थापन हो गया है एवं उनका पदस्थापन कहीं नहीं किया गया है, वे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल आदेश से,

ओम प्रकाश साह,

सरकार के अपर सचिव ।
